संख्या–3015(1)/9–आ–1–1999–120 विविध/98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त विकास प्राधिकरण के उपध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 22 जून, 1999

विषय : विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) संशोधन उपविधि, 1998 (स्वैच्छिाक शमन उपविधि) में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4167/9–आ–1–99 दिनांक 20.10.98 द्वारा जारी स्वैच्छिक शमन उपविधि के सम्बन्ध में कतिपय प्राधिकरणों से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि वर्ष 1974 के पूर्व निर्माणों के लिए भी वर्ष 1974 से 1983 के मध्य हुए अवैध निर्माणों हेतु निर्धारित शमन शुल्क की दर पर शमन अनुमन्य किया जाए तथा योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र जाम करने की अवधि एक माह और बढ़ाई जाए।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वैच्छिक शनम उपविधि में पूर्व में निर्दिष्ट परिष्कारों के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित परिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है :–

(क) **वर्ष 1974 के पूर्व के निर्माण :** यदि निर्माणकर्ता स्वेच्छा से शमन कराना चाहते हैं तो उन्हें भी वर्ष 1974 से 1983 के मध्य हुए निर्माणों हेतु निर्धारित शमन शुल्क की दर शमन अनुमन्य किया जाएगा परन्तु इस हेतु किसी प्रकार भी वाध्य नहीं किया जायेगा और न ही कोई नोटिस इस हेतु दिया जाएगा।

(ख) योजना की समय सीमा : वर्तमान में समय सीमा दो महीने है तथा एक और महीने का समय रू0 1000/– (समायोजन योग्य धनराशि) के आवेदन पर अनुमन्य है।एक और महीने का समय विलम्ब शुल्क , जो वापस अथवा समायोजित नहीं किया जाएगा, के भुगतान पर अनुमन्य किया जा सकता है। विलम्ब शुल्क निम्न प्रकार देय होगा।

(1) 300 वर्ग मीटर तक एकल आवासीय भवन : रू0 1000/–
(2) 300 वर्ग मीटर तक एकल आवसीय भवन : रू0 1500/–
(3) कामर्शियल काम्पलेक्स व ग्रुप हाऊसिंग : रू0 7500/–
(4) अन्य रू0 3000/–

3. अतएव यह अनुरोध है कि स्वैच्छिक शमन उपविधि में उपरोक्त परिष्कारों का समावेश करते हुए संशाधित उपविधि विकास प्राधिकरण से अंगीकृत कराकर शासन को अनुमादन एवं अधिसूचना जारी करने हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–3015(1)/9–आ–1–99 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण।
(2) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव